

कार्यालय— निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—::कार्यालय—आदेश::—

श्री गनी खां, प्रधानाचार्य, को निजी विदेश यात्रा हेतु कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली मण्डल पाली की अनुशंषा के आधार पर निम्नांकित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान प्रदान की जाती है:-

No	Name	DOB	Designation	School Name	देश (विदेश यात्रा)	विदेश यात्रा दिवस
1	GHANI KHAN (RJPA199629026221)	07-07-1967	Principal & Equivalent	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHEKHAWAS (221230) (08200605601) PALI	मक्का (काबा शरीफ) सऊदी अरब	15-06-2022 TO 15-08-2022

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति की अनुमति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे:-
 - कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/ शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

सत्यमेव जयते

(अर्जुन कुमार वाजपेयी)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था-एबी/A-2/विदेश-यात्रा/2022/11

दिनांक:- 22.06.2022

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है:-

- सम्बन्धित, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- सम्बन्धित, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा।
- सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
- सम्बन्धित, कार्मिक।
- निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर